<u>न्यायालयः-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालाघाट(म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी-सचिन ज्योतिषी)

<u>व्य.वाद क्रमांक—67ए / 2014</u> प्रस्तुति दिनांक 10.07.2014

मनीराम, पिता पूनाराम, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम खजरी, तह.लांजी, जिला बालाघाट.....<u>आवेदक / वादी</u>

–विरूद्ध–

1—धनीराम, पिता पूनाराम रणदिवे, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम खजरी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट

2—मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट<mark>अनावेदकगण / प्रतिवादीगण</mark>

–आदेश–

(<u>आज दिनांक को पारित)</u>

- 1— इस आदेश के माध्यम से आवेदक / वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— यह अविवादित है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 आपस में सगे भाई है। विवादित भूमि के पूर्व धारक विक्रेता मधुसूदन थे और विक्रयपत्र दिनांक 2.2. 1983 के आधार पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारे हेतु राजस्व प्रकरण पेश किया गया है। उक्त प्रकरण के अनुक्रम में जारी इश्तेहार पर वादी भी आपत्तिकर्ता के रूप में उक्त राजस्व प्रकरण में उपस्थित हुआ है और यह आपत्ति / जवाब प्रस्तुत किया है कि, विवादित भूमि का वह एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। विवादित भूमि उसने ही स्वयं की आय से क्रय किया है, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 उसका भाई है और भाई के प्रेमवश उसने रिजस्ट्री दिनांक 2.2.1983 में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम भी अंकित करा दिया है।
- 3— आवेदन पत्र का सार यह है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 सगे भाई है। मौजा खजरी पटवारी हल्का नंबर 7, रा.नि.मं. भानेगांव, तहसील लांजी, जिला बालाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 199/2 रकबा 0.356 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 208/2 रकबा 3.0553 हेक्टेयर भूमि वादी/आवेदक के भू—स्वामित्व की है जो उसने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 2.2.1983 के माध्यम से विक्रेता मधुसूदन से क्य किया था, किंतु प्रेमवश उसने विक्रय विलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम भी बतौर केता उल्लेख करा लिया था। उक्त वर्णित विवादित भूमि का राजस्व अभिलेखों में उक्त विक्रय विलेखों के आधार पर ही प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज हुआ है। किंतु उसका कभी भी स्वामित्व या कब्जा नहीं रहा है। अभिलेख में नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 24.12.2013

को भूमि के बंटवारे हेतु तहसील न्यायालय लांजी में प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिस पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ—27/2013—14 गतिशील है। उक्त प्रकरण में दावे आपित्त आमंत्रित की गई थी। तब वादी ने दिनांक 10.2.14 को उक्त प्रकरण में स्वयं का जवाब प्रस्तुत किया है, जिस पर राजस्व न्यायालय द्वारा स्वत्व के प्रश्न का निराकरण करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी विवादित भूमि का मालिक व कब्जेदार है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या उसके पक्ष में है। वादी ने विवादित भूमि में सुधार कार्य करवाकर उपजाउ बनवाया है। यदि उसका कोई भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिया जाता है तो वादी/आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी और अत्यधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। अस्तु प्रकरण के अंतिम निराकरण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया जावे।

प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त आवेदन को कंडिकावार अस्वीकार करते ह्ये प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है जिसका सार यह है कि, वादी तथा प्रतिवादी के पिता पूनाराम की चार संतान कमशः हरिराम, फूलचंद, मनीराम और धनीराम है। मनीराम तथा धनीराम वादी एवं प्रतिवादी है। हरिराम की मृत्यु हो चुकी है।हरिराम तथा फूलचंद वर्ष 1982 से अपने पिता धनीराम से अलग हो गये थे, उस समय धनीराम लगभग 20 वर्ष के थे तब वादी तथा प्रतिवादी ने मृत्युकाल वर्ष 2004 तक उन्होंने पूनाराम की देखरेख की, जिससे खुश होकर पूनाराम ने वादी तथा प्रतिवादी के संयुक्त नाम से विवादित भूमि क्य किया था, जिसका प्रतिफल पूनाराम द्वारा दिया गया था और रजिस्ट्री का खर्च भी पिता पूनाराम ने ही वहन किया था। वादी द्वारा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है, न कोई सुधार कार्य किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद चूंकि वादी मनीराम बड़ा भाई था तथा समस्त कागजात उसने अपने कब्जे में ले लिये हैं। पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2013 तक दोनों साथ रहते रहे। वर्ष 2013 की दीपावली के पहले वादी तथा प्रतिवादी दोनों भाई अलग अलग हो गये, तब प्रतिवादी ने भू अधिकार अभिलेख की मांग वादी से किया, तब वादी ने कह दिया कि विवादित भूमि उसकी स्वयं की कमाई की है और वह दस्तावेज नहीं देगा, तब प्रतिवादी ने तहसील न्यायालय में अभिलेख तथा कब्जे के आधार पर बंटवारा का आवेदन दिया। वादी द्वारा कोई भी सहमति पत्र 13.5.2003 को नहीं लिखा गया है और न ही प्रतिवादी ने अपनी भूमि कमलाबाई को देने की सहमति दी है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को भृमि से वंचित करने के लिए ऐसे दस्तावेज की रचना की है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5— <u>आवेदन के सम्यक निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है</u>:—

- (1)— क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक / वादी के पक्ष में है ?
- (2)— क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?
- (3)— क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?

<u>—विचारणीय प्रश्न कमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष—</u>

6— यह अविवादित है कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों का ही नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में है। अतः म.प्र.भू.रा.सं.1969 की धारा 117 में उपबंधित भू अभिलेख की प्रविष्टि की सत्यता संबंधी उपधारणा के प्रभाव से, इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि उभयपक्ष विवादित भूमि के सहस्वामी एवं सहकब्जेदार है। यद्यपि उक्त उपधारणा विधि की खंडनीय प्रकृति की उपधारणा है, किंतु उपधारणा का खंडन साक्ष्यगत गुणावगुण का विषय है, क्योंकि इसके लिए वादी को साक्ष्य के आधार

पर यह साबित करना होगा कि भले ही विक्रयपत्र दिनांक 2.2.1983 तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी का नाम बतौर सहस्वामी एवं सहकब्जेदार अंकित है, किंतु मौके पर उसका एकल आधिपत्य है और उसका मामला बेनामी संव्यवहार अधिनियम के अपवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उक्त उपधारणा का सम्यक खंडन साक्ष्य के बिना संभव नहीं है।

7— न्यायदृष्टांत. मेनेजमेंट ऑफ बैंगलोर वूलन काटन सिल्क मिल कं.लि.ब.बी. दासप्पा ए.आई.आर 1960 सु.को. 1352 में न्याय दृष्टांत मार्टिन बर्न लिमिटेड विरूद्ध आर0एन0बैनर्जी एआईआर 1958 एस0सी० 79 को अनुसरित करते हुये ''प्रथम दृष्टया प्रकरण'' के संबंध में इस आशय का सामान्य विधिक सिध्दांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रमाण के अंतर्गत ऐसा मामला माना जाना चाहिए जिसमें यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाये तो वादी सफल हो सकता हो। ऐसा मामला जिसे यदि ध्वस्त नहीं किया जा सके, तो वादी को डिक्की मिल जायेगी, एक प्राथमिक मामला होगा। उक्त वर्णित न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि वर्तमान प्रकरण इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में नहीं है।

-विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष-

8— अवलोकनीय है कि विचारणीय प्रश्न क.1 की विवेचना के अंतर्गत प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उभयपक्ष विवादित भूमि के सहस्वामी तथा सहकब्जेदार है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में सुविधा का संतुलन इस बात में प्रकट होता है कि, एक सह—स्वामी को दूसरे सह—स्वामी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान न की जावे।

9— सामान्य नियम यह है कि, सहस्वामी के विरूद्ध अन्य सहस्वामी को अस्थीय निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए किन्तु कुछ अपवादिक परिस्थितियों में और जबकि किसी एक सहस्वामी का एकल आधिपत्य प्रमाणित हो तब कब्जे के संरक्षण के सीमित प्रयोजन से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। एकल आधिपत्य तथा एकल स्वामित्व के कथित तथ्य के संब ंध में वादी की ओर से शपथकर्तागण फुलनबाई तथा दुर्योधन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, दोनों ही शपथकर्ता ने यह कथन किये हैं कि विवादित भूमि पर एकमात्र रूप से वादी का अधिपत्य है और वादी ही कृषि कार्य करता है किन्तु अवलोकनीय है कि, शपथकर्ता फूलनबाई ने अपने शपथ पत्र के पैरा—4 में यह कथन किये हैं कि 9—10 माह पहले प्रतिवादी क.1 ने उसकी भूमि को यह कहकर नपवा दिया था कि उक्त भूमि प्रतिवादी क.1 के कब्जे एवं मालिकी की है। ऐसी स्थिति में शपथकर्ता फूलनबाई से प्रतिवादी क.1 का व्यक्तिगत विवाद होना दर्शित होता है। अतः इस स्तर पर फूलनबाई के शपथपत्रीय कथन पर एकमात्र रूप से विश्वास किया जाना सरक्षित प्रकट नहीं होता है।

10— इसी प्रकार यद्यपि शपथकर्ता दुर्योधन ने विवादित भूमि पर वादी द्वारा ही कृषि कार्य करना बताया है किन्तु अवलोकनीय है कि, शपथकर्ता फूलचंद जो कि वादी तथा प्रतिवादी क.1 का सगा भाई हैं ने दिनांक 20.03.2015 को प्रस्तुत अपने शपथपत्र में यह बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी क.1 को पूर्व में उसके हिस्से की फसल देता था और वादी पिछले दो वर्षो से विवाद कर रहा है। अवलोकनीय है कि शपथकर्ता दुर्योधन का शपथपत्र दिनांक 05.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी पक्ष को उसके पूर्व से दिनांक 20.03.2015 से शपथकर्ता फूलचंद का शपथ पत्र प्राप्त रहा है किन्तु फूलचंद के इन शपथपत्रीय कथनों का इस स्तर पर वादी या उसके

शपथकर्तागण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है कि, प्रतिवादी कृ.1 ने अपने हिस्से की जमीन वादी को कमाने के लिए दिया था और वादी, प्रतिवादी कृ.1 के हिस्से की फसल प्रतिवादी कृ.1 को देता था। इस प्रकार उक्त अखंडित शपथपत्रीय कथन के आधार पर इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या यही प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी कृ.1 का सहआधिपत्य रहा है। अस्तु इस स्तर पर वादी के यह कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं कि विवादित भूमि पर उसका एकमात्र आधिपत्य है और प्रतिवादी कृ.1 को बंटवारा दे दिये जाने से उसे अत्यधिक अस्विधा एवं क्षित होगी।

11— अपूर्णीय क्षिति के कथित तथ्य के संबंध में अवलोकनीय यह भी है कि आवेदन पैरा 6 के अनुसार, वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को बंटवारा दे दिये जाने की स्थिति में स्वयं को क्षितियां संभावित होना बताया है किन्तु अवलोकनीय है कि, क्षिति के संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं और मात्र यह बताया गया है कि उसे अत्यधिक असुविधा होगी, चूंकि प्रथमदृष्टया वादी तथा प्रतिवादी कृ.1 विवादित भूमि के सह—स्वामी एवं सहआधिपत्यधारी है। ऐसी स्थिति में यदि सहस्वामी द्वारा संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति का स्वतंत्र उपभोग करने से अन्य सहस्वामी को कोई क्षिति कारित होती भी है तो ऐसी क्षिति अपूर्णीय क्षित नहीं मानी जा सकती है।

12— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन स्वीकार किये जाने के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षिति तथा सुविधा का संतुलन के तीनों ही बिन्दु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वादी / आवेदक के पक्ष में नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता(आई.ए.नंबर 1) निरस्त किया जाता है।

13— इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, खुले न्यायालय में पारित किया गया मेरे बोलने पर टंकित।

(सचिन ज्योतिषी) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बालाघाट (सचिन ज्योतिषी) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बालाघाट